झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

<u>धाराएँ</u>

1. संक्षिप्त नाम
2. विस्तार
3. प्रारम्भ
4. झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उप धारा (1), (2) एवं (3) में संशोधन ।

झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण)अधिनियम, 2002 (अंगीकृति) में संशोधन हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम** – यह अधिनियम झारखंड माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

2. **विस्तार** – इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

3. **प्रारम्भ** – यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

4. **झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उप धारा (1), (2) एवं (3) में संशोधन** – झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उप धारा (1), (2) एवं (3) को विलोपित करते हुए उनके स्थान पर धारा 9 की उप धारा (1) एवं (2) के रूप में निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी :-

9 (1) राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से अथवा अन्य कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्त के साथ समेकित रूप से भारत के संविधान की धारा-309 के तहत् या अन्य समुचित प्रावधानों के तहत् नियमावली गठित करते हुए किया जा सकेगा।

(2) इस संशोधित अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत् बनाई गई नियमावली में प्रावधानित प्राधिकार ही प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा करने हेतु सक्षम प्राधिकार माना जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 05 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक–05 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 41–50–19–8–2014 ।